उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख परिषद्
UTTAR PRADESH STATE ALLIED AND HEALTHCARE COUNCIL

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001

Email- upsahc@gmail.com

पत्रांक संख्या–27/UPSAHC/2025-26 दिनांक 19 नवम्बर, 2025

सेवा में,

कुलसचिव / संकायाध्यक्षक / प्रधानाचार्य

समस्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख (Allied and Healthcare) प्रशिक्षण केन्द्र,

उत्तर प्रदेश।

विषय–**"पैरामेडिकल" (Paramedical) शब्द के स्थान पर "सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख" (Allied and Healthcare) शब्द का प्रयोग किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के परिपत्र संख्या– Z/103/2024-AHS-DOHFW DEPARTMENT, FTS-8309547, दिनांक– 01.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) एवं उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– I/1025571/2025/71-4099/50/2025 दिनांक– 15.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों को निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग 2021 अधिनियम की धारा 2(बी) (सी) (डी) (ई) एवं (जे) के अर्न्तगत "पैरामेडिकल" (Paramedical) शब्द के स्थान पर "सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख" (Allied and Healthcare) शब्द का प्रयोग अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 कमल पन्त)
अध्यक्ष

पत्र संख्या– दिनांक :

प्रतिलिपि (सूचनार्थ प्रेषित):–

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग, (NCAHP) नई दिल्ली।
3. उपसचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कुलसचिव, अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।

(डा0 कमल पन्त)
अध्यक्ष

संख्या-I/1025571/2025/71-4099/50/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 15-07-2025

विषयः- 'पैरामेडिकल' शब्द के स्थान पर ''संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा'' शब्द का प्रयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या–Z/103/2024-AHS-DOHFW DEPARTMENT, FTS-830954'', दिनांक-01.07.2025 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख 2021, रेख वृत्ति आयोग अधिनियम- की धारा-2(बी), (सी), (डी), (ई) एवं (जे) के अंतर्गत ''पैरामेडिकल'' शब्द के स्थान पर ''संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा'' शब्द का प्रयोग किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक-01.07.2025 में की गयी अपेक्षानुसार यथावश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त संस्थानों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRA SHEKHAR MISHRA
Date: 15-07-2025 13:58:45

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

534/(6)

F. No. Z/103/2024-AHS-DOHFW DEPARTMENT, FTS-8309547
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
National Commission for Allied and Healthcare Profession

2nd Floor, Academic Block, NIHFW Campus,
Munirka, New Delhi- 110067
Dated 1st July, 2025

CIRCULAR

The term "Paramedical" has long been used to describe various healthcare-related professions that provide support services in healthcare delivery. However, with the enactment of the **National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) Act, 2021**, the term **"Allied and Healthcare"** has been formally adopted to define, standardize, and recognize these professions under a unified framework.

2. In view of the above and for the purpose of **ensuring uniformity, standard terminology and alignment with the provisions of the NCAHP Act, 2021**, it is recommended by the Commission to implement the followings:

a) **All State Governments, Union Territories and relevant Universities / Institutions are recommended to discontinue the use of the term "Paramedical"** in all official correspondence, communications, policies, advertisements, training programmes, institutional titles, recruitment notifications, educational materials and any other Government-related documents or portals.

b) The term **"Allied and Healthcare"** as defined under Section 2 (b), (c), (d), (e) and (j) of the **NCAHP Act, 2021** shall **be used henceforth in place of "Paramedical"** in all forms of usage (verbal, written or electronic).

c) The Health Departments of the States/UTs are requested to communicate this to all concerned authorities, institutions and stakeholders under their jurisdiction and ensure necessary compliance at the earliest.

3. This is issued with the approval of the Competent Authority.

(Elangbam Robert Singh)
Secretary, NCAHP
Ph: 011-26100352

Copy to:
1. Chairpersons of State Allied and Healthcare Councils
2. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary (Health) of all States / UTs

Copy to (for information):
Additional Secretary (AHS), Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi.

NO. 5907 /SME/2025

SO-4
pl. issue communication to DA, State Medical faculty & all institutions